

# कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने की योजनाएँ

इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला आबादी और आदिवासी महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर की खाई को पाटना है, ताकि पहचान किए गए जिलों या ब्लॉकों में आदिवासी लड़कियों की 100% नामांकन की सुविधा के माध्यम से,

विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) में बसे क्षेत्रों में), और शिक्षा के लिए आवश्यक माहौल बनाकर प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप-

आउट कम करना। आदिवासी लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार उन्हें सामाजिक-

आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने और लाभान्वित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। कवरेज योजना 54 चिन्हित जिलों (परिशिष्ट- I) में लागू की जाएगी,

जहां एसटी की आबादी 25% या उससे अधिक है, और एसटी महिला साक्षरता दर 35% से कम है, या इसका अंश, 2001

की जनगणना के अनुसार। किसी जिले में कोई भी अन्य जनजातीय ब्लॉक, जो पूर्व निर्धारित 54 से अधिक जिलों को छोड़कर, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25%

या उससे अधिक है, और आदिवासी महिला साक्षरता दर 35% से कम है या इसका अंश, 2001 की जनगणना के अनुसार, (परिशिष्ट- II) ,

पश्चिम बंगाल और कर्नाटक द्वारा अब तक जारी किए गए ब्लॉक। अन्य राज्यों में मानदंड पूरा करने वाले ऐसे ब्लॉक को भी रिपोर्ट के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा,

यह योजना अधिसूचित आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) (परिशिष्ट- III)

द्वारा बसाए गए ब्लॉक स्तर (जैसे ग्राम पंचायतों)

के नीचे के क्षेत्रों को भी कवर करेगी। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से,

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी क्रियान्वयन एजेंसी योजना को स्वैच्छिक संग

ठनों (VOs) / गैर-सरकारीसंगठनों (NGOs) औरस्वायत्तसमाज / राज्यसरकार /  
केंद्रशासितप्रदेशोंकेसंस्थानोंकेमाध्यमसेलागूकियाजाएगा।।

विभिन्नराज्यों / केंद्रशासितप्रदेशोंद्वारागठितमौजूदाबहु विषयक

“राज्यस्वैच्छिकसहयोगकेलिएराज्यसमिति” (SCSVE) इसयोजनाकेतहतगैर-  
सरकारीसंगठनोंकीपरियोजनाओंकीपहचानऔरजांचकेलिएभीजिम्मेदारहोगी।

No.22040 / 10/2006 / NGO /

भारतसरकारजनजातीयमामलोंकेमंत्रालयसंगठनोंकीपात्रताराज्यसरकार /

केंद्रशासितप्रशासनकेस्वायत्तसमाज /

संस्थानोंसहितसंगठनइसयोजनाकेतहतचलनेवालीपरियोजनाओंकेलिएमहिलापरियोज  
नाकर्मचारियोंकोबनाएरखेंगे।स्वैच्छिकसंगठन (वीओ) / गैर-सरकारीसंगठनों  
(एनजीओ) कोनिम्नलिखितआवश्यकताओंकोपूराकरनाहोगा  
(जिलायापंचायतीराजप्रशासनसेप्रमाणपत्रकेमाध्यमसे):

अनुसूचितजनजातियोंकेसामाजिककल्याणकेसंचालनऔरसंवर्धनकेलिएकमसेकमतीन  
वर्षोंकेलिएपंजीकृत।हॉस्टलऔर /

याशैक्षिकपरिसरोंकोसफलतापूर्वकचलानेऔरबनाएरखनेमेंकमसेकमतीनवर्षोंकाअनुभव  
।मंत्रालयसेसहायताकीदेरीयाअनुपस्थितिकेमामलेमेंसीमितअवधिकेलिएकामजारीरखने  
केलिएवित्तीयव्यवहार्यता।अच्छीप्रतिष्ठाऔरसाख,

विशेषरूपसेहॉस्टलर्सकीसुरक्षाऔरसुरक्षाकीगारंटीकेलिए।पंचायतीराजसहितअन्यसंस्था  
नोंकेसाथनेटवर्ककाआवंटनऔरनिर्मितपरिसंपत्तियोंकेइष्टतमउपयोगकेलिएअधिकजान  
कारीकेलिए: अनुसूचितजनजातिकीलड़कियोंकेबीचशिक्षाकोमजबूतकरना